फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी :– श्रीमती सुमित्रा देवी | **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. | **पत्रावली संख्या : 142/24**

जीसीएमएस : 2024/517

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 12.12.2024

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थीया स्वयं उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त। प्रार्थीया की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। प्रार्थीया द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम छोटीदेवी पुत्री फतहलाल गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में बैंक पासबुक की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, नगरपालिका मावली द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 896 दिनांक 04.12.2024, सहखातेदारों का 50/– रूपये स्टाम्प पर सहमति पत्र प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली द्वारा भी रिपोर्ट पेश कर छोटीदेवी एवं सुमित्रादेवी दोनो को एक ही महिला होना बताकर नाम संशोधन किये जाने पर सहमति व्यक्त की। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा गाडरियावास पटवार हल्का मावली तह. मावली की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 227 भूमि में खातेदार छोटीदेवी पुत्री फतहलाल के बजाय छोटीदेवी उर्फ सुमित्रादेवी पुत्री फतहलाल संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:53:34 IST
Reason: SelfAttested